दिनांक 03.05.2010 को सॉफ्टवेयर के विकास हेतु प्राप्त वित्तीय निविदा खोले जाने की बैठक का कार्यवाही विवरण

विभागीय गतिविधियों संबंधी सॉफ्टवेयर के विकास एवं निविदा संबंधी कार्यवाही हेतु गठित समिति व उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष प्राप्त निविदाओं में से तकनीकी रूप से सक्षम पाये गये निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदा खोले जाने हेतु दिनांक 03 मई 2010 को उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें उद्योग संचालनालय से सदस्य के रूप में श्री डी.एस. बालरे, कार्यालय प्रमुख व अपर संचालक, श्री आर.सी.कुरील, संयुक्त संचालक–सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष एवं श्री बी.एम.शर्मा, उप संचालक–सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष तथा तकनीकी सलाहकार के रूप में म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन से श्री संजय वर्मा एवं संलग्न सूची अनुसार निविदाकर्ता उपस्थित हुए।

बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही की गई/निर्णय लिया गया:–

1. सर्वप्रथम दिनांक 30.04.2010 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तकनीकी अर्हता पूर्ण करने हेतु निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

   अ. <u>साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. इन्दौर</u> – निविदाकर्ता द्वारा 10 लाख रूपये से अधिक का कोई शासकीय प्रोजेक्ट करने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु प्रमाण पत्र के पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समिति द्वारा उनकी तकनीकी निविदा अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

   ब. <u>माइक्रोवेव कम्प्यूटिंग एंड कन्सल्टिंग प्रा.लि.</u> – निविदाकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश की किसी भी शासकीय विभाग/कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं करने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया। परन्तु निविदाकर्ता द्वारा उनकी कम्पनी का मध्यप्रदेश में कम से कम 10 सीटों की क्षमता वाला कार्यालय/विकास केन्द्र होने का प्रमाण नहीं दे पाये। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से मात्र चार सीटों की क्षमता वाला कार्यालय होने का प्रमाण मिला। अतः समिति द्वारा उनकी तकनीकी निविदा अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

   स. <u>सिल्वरटच टेक्नॉलॉजी, अहमदाबाद गुजरात</u> – निविदाकर्ता द्वारा उनकी कम्पनी का मध्यप्रदेश में कम से कम 10 सीटों की क्षमता वाला कार्यालय/विकास केन्द्र होने के प्रमाण में लीज एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया। निविदाकर्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रमाण एवं उक्त लीज एग्रीमेंट के आधार पर समिति द्वारा उनकी तकनीकी निविदा मान्य की गई।

   द. <u>सिनक्यूस कन्सेल्टेन्सी प्रा.लि.</u> – निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी अर्हता संबंधी प्रमाण निर्धारित समय दोपहर पश्चात 3.00 बजे दिनांक 03.05.2010 तक प्रस्तुत न की जाकर दोपहर पश्चात 3.37 बजे दिनांक 03.05.2010 को प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त दस्तावेज तकनीकी निविदा में सम्मिलित नहीं करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप उनकी तकनीकी निविदा अमान्य की गई।

2. तकनीकी निविदा में मान्य की गई चार निविदाओं क्रमशः सिल्वरटच टेक्नॉलॉजी, अहमदाबाद, न्यू होराइजोन इंडिया लि., नई दिल्ली, सी–नेट इन्फोटेक प्रा.लि. भोपाल एवं पी.एस. एसोसिएट्स, भोपाल के वित्तीय प्रस्ताव समिति द्वारा खोले जाने का निर्णय लिया गया।

3. समिति द्वारा खोली गई निविदाओं में निम्नानुसार वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए–

क्र.	निविदाकर्ता का नाम	वित्तीय प्रस्ताव
1.	सिल्वरटच टेक्नॉलॉजी, अहमदाबाद,	62.67 लाख रू.
2.	न्यू होराइजोन इंडिया लि., नई दिल्ली	19.72 लाख रू.
3.	सी–नेट इन्फोटेक प्रा.लि. भोपाल	15.65 लाख रू.
4.	पी.एस. एसोसिएट्स, भोपाल	12.007 लाख रू.

प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों में सबसे कम प्रस्ताव पी.एस. एसोसिएट्स भोपाल का बारह लाख सात सौ रू. मात्र प्राप्त हुआ जिसे समिति द्वारा सॉफ्टवेयर विकास का कार्य प्रदान करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया।

4. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पी.एस.एसोसिएट्स भोपाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दिये गये तथ्यों का सर्वप्रथम समिति द्वारा भौतिक सत्यापन संबंधी कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात ही उन्हें सॉफ्टवेयर विकास का कार्य विधिवत् प्रदान किया जायेगा। विधिवत् कार्य प्रदान करने हेतु आवश्यक एग्रीमेंट भी उद्योग संचालनालय एवं पी.एस.एसोसिएट्स, भोपाल के मध्य किया जायेगा।

5. सी–नेट इन्फोटेक प्रा.लि. भोपाल की निविदा द्वितीय न्यूनतम पाई गई । अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि पी.एस.एसोसिएट्स भोपाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये गये भौतिक सत्यापन में समिति को कोई अनियमितता दर्शित होने पर उनकी निविदा अमान्य कर सी–नेट इन्फोटेक प्रा.लि. को सॉफ्टवेयर विकास का कार्य प्रदान किया जायेगा।

6. पी.एस.एसोसिएट्स, भोपाल एवं सी–नेट इन्फोटेक प्रा.लि., भोपाल के Earnest Money Deposit को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की Earnest Money Deposit दिनांक 07.05.2010 तक वापस किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया। इस बाबत् समिति द्वारा निविदाकर्ताओं को बैठक में सूचित किया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष से Earnest Money Deposit के रूप में दिये गये ड्राफ्ट को प्राप्त कर लेवें।

7. समिति द्वारा पी.एस. एसोसिएट्स, भोपाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दिये गये तथ्यों का भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के भीतर करने का निर्णय लिया गया जिससे यदि पी.एस. एसोसिएट्स भोपाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में दिये गये तथ्य सही पाये जाते है तो यथाशीघ्र सी–नेट इन्फोटेक प्रा.लि. भोपाल की Earnest Money Deposit वापस की जा सकें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संयुक्त संचालक, सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल (सदस्य)	कार्यालय प्रमुख, उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल (सदस्य)	उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल (अध्यक्ष)	म.प्र.सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि (सदस्य एवं तकनीकी सलाहकार)	उप संचालक सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल (सदस्य सचिव)